



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

### आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-247

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 283263 दिनांक 13/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Aman Agarwal S/o CHANDRA SHEKHAR AGARWAL एवं Kanika Agarwal W/o AMAN AGARWAL	श्रीमती सीता गुप्ता पत्नी श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता	83	200.00 SQ. YARD	Private	SHIV NAGAR-A Sector/Block-	Name Transfer	भूखण्ड संख्या 83 योजना शिव नगर-ए का पट्टाविलेख दिनांक 11.02.2009 को श्रीमती सीता गुप्ता के नाम तत्पश्चात नाम हस्तान्तरण पत्र दिनांक 21.07.2016 को श्री अभिमन्यु आर्य के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात अभिमन्यु आर्य द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती ममता को किया गया। तत्पश्चात श्रीमती ममता द्वारा भूखण्ड का विक्रय श्रीमती कनिका एवं श्रीमती अपूर्वा को किया गया। इसके पश्चात श्रीमती अपूर्वा



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

द्वारा अपना अविभाजित 1/2 हिस्सा श्री अमन अग्रवाल के पक्ष में पंजीकृत उपहार पत्र के माध्यम से उपहार किया गया है। तत्पश्चात श्रीमती कनिका एवं अमन अग्रवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। प्रकरण में एक बार से अधिक बेचान होने के कारण विज्ञप्ति प्रकाशन अपेक्षित है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Aman Agarwal S/o CHANDRA SHEKHAR AGARWAL एवं Kanika Agarwal W/o AMAN AGARWAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिर्याँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |